भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1448

(जिसका उत्तर सोमवार, 1 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

जीएसटी के अन्तर्गत कृषि उपकरण

1448. श्री हनुमान बैनिवालः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे- किः

(क) क्या कई कृषि उपकरण भी माल और सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो जीएसटी के दायरे में आने वाले उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का किसानों के कल्याण को ध्यान में रखकर कृषि उपकरणों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक होने की संभावना है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) तथा (ख): जी हाँ। जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर कृषि उपष्करों पर लगने वाली जीएसटी की दर को अधिसूचित कर दिया गया है। इस समय कृषि के हस्त चालित औजारों, उपष्करों, उपकरणों और मशीनों पर 5% या 12% की दर से जीएसटी लगाई जाती है जिसका ब्यौरा इस प्रकार हैः

क्रम सं.	जीएसटी की दर	वस्तुओं का विवरण
1	शून्य	हस्त चालित औजार जैसे कि फावड़े, शोवेल्स, होज, एक्सेज, मैटोक्स, हेज शियर्स, हे नाइव्ज, डिम्बर वेजेज, आदि।
2	5%	फ्लोर मिल मशीनरी, राइस मिल मशीनरी, सफाई, छटाई या ग्रेडिंग आदि की मशीने और उनके कलपुर्जे।
3	12%	अन्य मद जैसे कि ट्रेक्टर, हार्वेटर, टीलर्स, बेलर्स, मोवर्स, थ्रेसर, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, मवेशियों के आहार को तैयार करने वाली मशीन।

(ग) तथा (घ): जीएसटी की दरों को जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस समय कृषि उपष्करों को (जिन पर जीएसटी लगता है) जीएसटी के दायरे से हटाने की कोई सिफारिश नहीं की गई है।

*****